SOP

FOR ARRESTING AND CHARGESHEET

गिरफ्तारी एवं आरोप–पत्र की मानक संचालन प्रक्रिया

COMPILING TEAM

- **Dr. Inam-Ul-Haq, IPS, S.P. Kishanganj.**
- **SI Sumesh Kumar,**
  SHO, Garwandanga PS, Kishanganj.
- **SI Nishakant Kumar,**
  SHO, Pothia PS, Kishanganj.

Formatting & Designing:-

- **Steno ASI Kanishk Kumar Sharma.**

References:-

1. Cr.P.C.
2. National Police Commission Report
3. Landmarks Judgements Of Different High Courts Of Country and Apex Court Of Country.
4. Most Important Judgements:-
    A. Siddharth Vs State Of UP
    B. Arnesh Kumar Vs State Of Bihar

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ सं0
01.	परिचय	1
02.	अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं आरोप–पत्र समर्पित करने हेतु कानूनी प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश	2–4
03.	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 एवं **Case laws**	5–10
04.	गिरफ्तारी पर पुलिस आयोग की रिपोर्ट	11–12
05.	चैकलिस्ट द0प्र0सं0 की धारा 41(1)(**b**)(ii) एवं द0प्र0सं0 की धारा 41(1)(**A**) के नोटिस के अंतर्गत	13–14
06.	मॉडल प्रपत्र	15–22
07.	निष्कर्ष	23
08.	उद्देश्य	24

KISHANGANJ POLICE

01. परिचय

देशभर में पुलिस द्वारा अनावश्यक गिरफ्तारी का चलन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण बहुत से निर्दोष लोग सालों भर न्यायिक अभिरक्षा में है और उनके परिवार को इसके चलते बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। खासतौर से समाज के निचले वर्ग, गरीब, वंचित वर्ग तथा सामान्य नागरिकों को समस्या हो रही है। अनावश्यक गिरफ्तारी के चलते पुलिस की छवि देशभर में बहुत धूमिल हो चुकी है और आम जनों में भी पुलिस के प्रति विश्वास खत्म हो गया है और पुलिस अपना सम्मान खो चुकी है।

यह भी देखा गया है कि जेल एवं बेल एक **"Jail and Bail Enterprise"** बना है। इस **Enterprise** को बढ़ावा देने और फलने–फूलने में आपराधिक न्याय प्रणाली (**Criminal Justice System**) से जुड़े सभी लोग बराबरी के जिम्मेदार है। यदि पुलिस द्वारा अनावश्यक गिरफ्तारी पर लगाम लगाया जाय तभी इस **"Jail and Bail Enterprise"** का अंत होगा।

इस लेखन का उद्देश्य यह है कि पुलिस द्वारा **Pre Trial** गिरफ्तारी और अनावश्यक गिरफ्तारी कम हो। केवल गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य आधारित ही गिरफ्तारी हो।

KISHANGANJ POLICE

02. अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं आरोप–पत्र समर्पित करने हेतु कानूनी प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश

द0प्र0स0 की धारा के तहत गिरफ्तारी हेतु प्रावधानः–

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 एवं 41ए

व्यक्तियों की गिरफ्तारी

द0प्र0स0 की धारा 41ः– पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकेगीः–

(1). कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है–

(क) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है।

(ख) जिसके विरूद्ध युक्तियुक्त परिवाद किया गया है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम हो सकेगी या जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती है अर्थात्–

(i) पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, जानकारी या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है।

(ii) पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है–

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए या

(ख) अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए या

(ग) ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ करने से रोकने या

(घ) ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वादा करने से रोकने, जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके या

(ङ) जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब भी आवश्यक हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती और

तो पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगाः

परन्तु यह कि पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जहां इस उपधारा के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यकता नहीं है तो ऐसी गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

KISHANGANJ POLICE

(खक) जिसके खिलाफ विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, जिसकी सजा सात साल से अधिक हो सकती है, चाहे जुर्माना के साथ या उसके बिना या मृत्यु की सजा के साथ और पुलिस अधिकारी के पास इस पर विश्वास करने का कारण है उस जानकारी के आधार पर कि अमुक व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है या

(ग) जिसे इस संहिता के तहत या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया गया है या

(घ) जिसके कब्जे में कुछ ऐसी चीज पायी गयी है, जिसके चोरी की संपत्ति होने का उचित संदेह हो सकता है और जिस पर ऐसी चीज के संदर्भ में अपराध करने का उचित संदेह हो सकता है या

(ङ) जो किसी पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डालता है, या जो कानूनी हिरासत से भाग गया है, या भागने का प्रयास करता है या

(च) जिस पर संघ के किसी भी सशस्त्र बल से भगोड़ा होने का यथोचित संदेह हो या

(छ) जो भारत के बाहर किसी भी स्थान में किसी ऐसे कार्य किये जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरूद्ध किये जाने का भागी है, सम्बद्ध रह चुका है या जिसके विरूद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे सम्बद्ध रह चुका है; अथवा

(ज) जो रिहा किया गया दोषी होने के नाते, धारा 356 की उपधारा (5) के तहत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है या

(झ) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक कोई मांग प्राप्त हुई है, बशर्ते कि मांग में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और अपराध या अन्य कारण जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, निर्दिष्ट हो और यह उससे प्रतीत होता हो उस व्यक्ति को मांग जारी करने वाले अधिकारी द्वारा बिना वारंट के कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है।

[(2) द0प्र0स0 की धारा 42– गैर–संज्ञेय अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को या जिसके खिलाफ शिकायत की गई है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या उसके इस तरह से सम्बद्ध होने का उचित संदेह मौजूद है, मजिस्ट्रेट के किसी वारंट या आदेश के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।]

KISHANGANJ POLICE

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क(41-A)

पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचनाः–

(1). पुलिस अधिकारी, उन सभी मामलों में, जहां धारा 41 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को निर्देशित करने वाला एक नोटिस जारी करेगा, जिसके खिलाफ उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या उचित संदेह मौजूद है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, उसके सामने या ऐसे अन्य स्थान पर उपस्थित होने के लिए, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2). जहां किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस जारी किया जाता है, तो नोटिस की शर्तों का अनुपालन करना उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा।

(3). जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करता है और अनुपालन करना जारी रखता है तो उसे नोटिस में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों से, पुलिस अधिकारी की राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(4). जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय, नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने को तैयार नहीं है, पुलिस अधिकारी, इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों के अधीन, उसे नोटिस में उल्लेखित अपराध के लिए गिरफ्तारी कर सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169

साक्ष्य पर्याप्त नहीं होने पर अभियुक्त को रिहा करनाः–

अन्वेषण के दौरान पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को, उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो ऐसा अधिकारी, यदि ऐसा व्यक्ति है हिरासत में, जमानत के साथ या उसके बिना, जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे सकता है, एक बांड निष्पादित करने पर उसे रिहा कर दें। यदि और जब भी आवश्यक हो, पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और मुकदमा चलाने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए उस पर आरोप लगाया जाए या उसे मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया जाए।

अनुसंधानकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु

नोटः– इससे स्पष्ट होता है कि यदि अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी भी कांड (उदाहरण–बलात्कार, हत्या जैसे गंभीर मामलों में भी) के अभियुक्त को अनुसंधान के क्रम में थाने एवं अन्य किसी स्थान पर बुलाया जाता है, परन्तु उनके विरूद्ध साक्ष्य नहीं है तो उसे बंधपत्र पर निश्चित शर्तों (भविष्य में भी पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होगा) पर रिहा कर दिया जायेगा।

इससे यह भी स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी द्वारा आरोप–पत्र/अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करते समय लोक अभियोजक के मंतव्य या टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसा करना अनुसंधान में हस्तक्षेप करना परिलक्षित करता है।

(R. Sarla Vs. T.S. Velu(2000) 4 SCC 459 AIR 2000 SC 1731 2000CrLJ 2453)

KISHANGANJ POLICE

03. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 एवं Case laws

जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जानाः–

(1). यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि यथापूर्वोक्त पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है, तो वह अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजेगा अथवा यदि अपराध जमानतीय है और अभियुक्त प्रतिभूति देने के लिए समर्थ है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन उसके हाजिर होने के लिए और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब तक अन्यथा निदेश न दिया जाए तब तक दिन–प्रतिदिन उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूति लेगा।

नोटः– इससे स्पष्ट है कि जब पर्याप्त साक्ष्य हो और अनुसंधान पूर्ण हो गया हो, तो अनुसंधानकर्ता अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणार्थ उपस्थापित करें। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि "सीआरपीसी की धारा 170 में आने वाला शब्द 'हिरासत' या तो पुलिस या न्यायिक हिरासत पर विचार नहीं करता है। यह न्यायालय में आरोप–पत्र दाखिल करते समय जांच अधिकारी द्वारा आरोपी की प्रस्तुति को दर्शाता है। संहिता की धारा 170 के तहत संज्ञान लेते समय आरोपी की गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है।"

(सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 16 अगस्त, 2021)

निम्नलिखित व्याख्याओं के आधार पर हाल के दिनों में इस प्रावधान के आसपास विभिन्न प्रथाएँ सामने आई है, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है किः–

(1). अभियुक्त को आवश्यक रूप से हिरासत में लिया जाना चाहिए
(2). जब तक अभियुक्त को हिरासत में नहीं लिया जाता तब तक आरोप–पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता।

दिल्ली उच्च न्यायालय इस दृष्टिकोण को अपनाने वाला अकेला नहीं है और अन्य उच्च न्यायालयों ने भी स्पष्ट रूप से इस प्रस्ताव का पालन किया है कि आपराधिक अदालतें केवल इसलिए आरोप–पत्र स्वीकार करने से इंकार नहीं कर सकती हैं क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। इस संबंध में अन्य न्यायालय के आदेश की टिप्पणियां निम्नलिखित हैः–

सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 16 अगस्त, 2021

इस समय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि "सीआरपीसी की धारा 170 में आने वाला शब्द 'हिरासत' या तो पुलिस या न्यायिक हिरासत पर विचार नहीं करता है, लेकिन न्यायालय में आरोप–पत्र दाखिल करते समय जांच अधिकारी द्वारा आरोपी की प्रस्तुति को दर्शाता है। संहिता की धारा 170 के तहत संज्ञान लेते समय आरोपी की गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है।"

KISHANGANJ POLICE

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, स्थिति बदल गई है इसे और भी मजबूती से पुख्ता किया गया है–ऐसे मामले में, न्यायालय ने माना कि आरोप–पत्र दाखिल करते समय किसी आरोपी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है–एक प्रथा जो अभी भी देश भर में नियमित रूप से अपनाई जाती है। न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी की धारा 170 में उल्लेखित 'हिरासत' का मतलब केवल पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत नहीं है, इसका मतलब आरोपी को न्यायालय में पेश करना होगा। उसी निर्णय का हवाला देते हुए, शीर्ष न्यायालय ने अमन प्रीत सिंह बनाम सीबीआई 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 941 के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी, हालांकि वह था जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन आरोप–पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया।

यदि पुलिस जांच अधिकारी आरोपी को इस कारण से हिरासत में पेश करना अनावश्यक समझता है कि आरोपी न तो फरार होगा और न ही सम्मन की अवहेलना करेगा क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहा है और जांच उसे गिरफ्तार किए बिना पूरी की जा सकती है तो अनुसंधानकर्त्ता ऐसे आरोपी को हिरासत में पेश करने के लिए बाध्य नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश इस गलत धारणा के तहत काम कर रहे थे कि प्रत्येक गैर–जमानती और संज्ञेय अपराध में पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है, भले ही यह जांच के उद्देश्य से आवश्यक न हो।

बल्कि कानून तो कुछ और ही है। सामान्य तौर पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजने से हमेशा बचना चाहिए। यदि पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी करना संभव है और यदि आरोपी द्वारा जांच अधिकारी को जांच पूरी करने में हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाता है। यह केवल अत्यधिक आवश्यकता के मामलों में है, जहां व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना जांच पूरी नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को आपत्तिजनक वस्तुओं या अपराध के हथियार की बरामदगी के लिए या उसके सहयोगियों या किसी के बारे में कुछ जानकारी या सुराग प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य, कि उसकी गिरफ्तारी आवश्यक हो सकती है। ऐसी गिरफ्तारी तब भी आवश्यक हो सकती है यदि संबंधित जांच अधिकारी या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लगता है कि गंभीर और गंभीर अपराध की प्रकृति के कारण आरोपी की उपस्थिति को पकड़ना मुश्किल होगा क्योंकि उसके भागने या प्रक्रिया की अवहेलना करने की संभावना होगी या न्याय से भागने से इंकार नहीं किया जा सकता। बाद के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम राज्य 2 पर न्यायालय में अपने स्वयं के प्रस्ताव (सुप्रा) पर इन टिप्पणियों पर भरोसा किया और पाया कि यह संज्ञेय और गैर से जुड़े हर मामले में आवश्यक नहीं है कि आरोप–पत्र या अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने पर आरोपी को हिरासत में ले लिया जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय इस दृष्टिकोण को अपनाने वाला अकेला नहीं है और अन्य उच्च न्यायालयों ने भी स्पष्ट रूप से इस प्रस्ताव का पालन किया है कि आपराधिक अदालतें केवल इसलिए आरोप–पत्र स्वीकार करने से इंकार नहीं कर सकती है क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अदालत के सामने पेश नहीं किया गया।

मुझे इस स्तर पर कहना होगा कि आपराधिक न्यायालयों द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट या उनके कार्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों की प्रस्तुति के बिना आरोप–पत्र स्वीकार करने से इंकार करना कानून के किसी भी प्रावधान द्वारा उचित नहीं है। इसलिए, सभी

RISHANGANJ POLICE

न्यायालयों पर यह प्रभाव डाला जाना चाहिए कि जब भी पुलिस द्वारा आरोप–पत्र पेश किया जाए तो उन्हें कर्मचारी या मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी चूक या आवश्यकता के संबंध में आरोप–पत्र पर किए जाने वाले किसी भी समर्थन के साथ स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब पुलिस आरोप–पत्र प्रस्तुत करती है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इसे स्वीकार करे, विशेष रूप से संहिता की धारा 468 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो अपराध का संज्ञान लेने में एक सीमा पैदा करता है। इसी प्रकार, पुलिस अधिकारियों को भी सभी पुलिस अधिकारियों पर यह प्रभाव डालना चाहिए कि यदि किसी भी कारण से आरोप–पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है, तो सत्र न्यायाधीश का ध्यान इन तथ्यों पर आकर्षित किया जाना चाहिए और उचित आदेश प्राप्त करना चाहिए ताकि आगे से ऐसी कठिनाइयाँ उत्पन्न न हों। हम उच्च न्यायालयों के उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं और उक्त न्यायिक दृष्टिकोण पर अपनी सहमति देना चाहेंगे। सीआरपीसी की धारा 170 पर विचार करने पर यह सही पाया गया है कि यह आरोप–पत्र दाखिल करने के समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी अधिकारी पर कोई दायित्व नहीं डालता है। वास्तव में, हमारे सामने ऐसे मामले आए हैं जहां आरोपी ने पूरी जांच में सहयोग किया है और फिर भी आरोप–पत्र दायर होने पर उसकी पेशी के लिए गैर–जमानती वारंट जारी किए गए है, इस आधार पर कि आरोपी को गिरफ्तार करना और उसे अदालत के समक्ष पेश करना बाध्यता है। हमारा विचार है कि यदि जांच अधिकारी को विश्वास नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन की अवहेलना करेगा तो उसे हिरासत में पेश करने की आवश्यकता नहीं है। सीआरपीसी की धारा 170 में आने वाला शब्द 'हिरासत' या तो पुलिस या न्यायिक हिरासत पर विचार नहीं करता है, लेकिन यह केवल आरोप–पत्र दाखिल करते समय जांच अधिकारी द्वारा अदालत के समक्ष आरोपी की प्रस्तुति को दर्शाता है।

(उपरोक्त इटालिक में दिये गये तथ्य सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायालय के निर्णयों की टिप्पणियां है, जिसे सुदृढ़तापूर्ण पालन करने का आदेश दिया गया है।)

दीन दयाल किशनचंद एवं अन्य। 14 दिसंबर, 1982 बनाम गुजरात राज्य

मजिस्ट्रेट या उनके कार्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों की प्रस्तुति के बिना आरोप–पत्र स्वीकार करने से इंकार करना कानून के किसी भी प्रावधान द्वारा उचित नहीं है। इसी प्रकार, पुलिस अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित होना चाहिए कि यदि किसी भी कारण से आरोप–पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है, तो सत्र न्यायाधीश का ध्यान इन तथ्यों पर आकर्षित किया जाना चाहिए और उचित आदेश प्राप्त करना चाहिए ताकि आगे कठिनाइयाँ उत्पन्न न हों।

सतेंदर कुमार अंतिल बनाम CBI 2022 SCC ऑनलाइन एससी 825, दि0–11.07.2022

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामले में जहां अभियोजन पक्ष को आरोपी की हिरासत की आवश्यकता नहीं है, वहां गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। मामला धारा 170 के तहत मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। जमानत याचिका दायर करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरोपी को केवल आरोप तय करने और मुकदमे की प्रक्रिया जारी करने के लिए न्यायालय में भेजा जाता है। न्यायालय सीआरपीसी की धारा 88 का सहारा ले सकती है और न्यायालय में व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकती है।

KISHANGANJ POLICE

8.2. इससे पहले कि कोई मजिस्ट्रेट धारा 167 सीआरपीसी के तहत हिरासत को अधिकृत करे, उसे पहले संतुष्ट होना होगा कि की गई गिरफ्तारी कानूनी और कानून के अनुसार है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के सभी संवैधानिक अधिकार संतुष्ट है। यदि पुलिस अधिकारी द्वारा की गई गिरफ्तारी संहिता की धारा 41 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है तो मजिस्ट्रेट उसकी आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करने और आरोपी को रिहा करने के लिए बाध्य है। दूसरे शब्दों में, जब किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी के लिए तथ्य, कारण और उसके निष्कर्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और बदले में मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना पड़ता है कि गिरफ्तारी के लिए पूर्ववर्ती शर्तें सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी है और उसके बाद ही वह किसी आरोपी की हिरासत को अधिकृत करेगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु

नोटः– इससे यह स्पष्ट होता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिसरात में भेजने से पहले अभियुक्त के सभी संवैधानिक अधिकार से संतुष्ट होना बाध्यकारी होगा।

भरत चौधरी बनाम बिहार राज्य (2003)8 एस0सी0सी0 77

जहां आरोप–पत्र दायर किया गया है और जांच के दौरान आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्या अग्रिम जमानत बरकरार रखी जा सकती है? इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक में दिया है। न्यायालय ने कहा कि तथ्य यह है कि आरोप–पत्र दायर किया गया है या संज्ञान लिया गया है, यह अग्रिम जमानत देने से नहीं रोकेगा।

"अर्णेश कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य" मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 02 जुलाई, 2014 को पारित आदेश तदनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र संख्या–3/5/2008–Judl. Cell दिनांक–10 जुलाई, 2014 द्वारा यथावांछित चैकलिस्ट सहित पूर्ण अनुपालन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग द्वारा पत्रांक–104/सरक्षण कक्ष, दिनांक–11.02.2017 निर्गत किया गया था।

पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 01/2020 में दिनांक–07.05.2021 को पारित न्यायादेश के पैराग्राफ 9 में पूर्वोक्त **'अर्णेश कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य'** न्यायादेश के प्रासंगिक पैराग्राफों का अक्षरशः उद्धरण देते हुए उसके दृढ़तापूर्वक अनुपालन हेतु आदेशित किया गया है। न्यायादेश के प्रासंगिक भाग का सारांश अग्रलिखित हैः–

(i) धारा 498A भा0द0वि0 तथा 7 वर्ष से कम कारावास के मामलों में अभियुक्तों को सीधे **Automatically** गिरफ्तार करने के बजाय पहले धारा 41 द0प्र0स0 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के विषय में पुलिस अधिकारी संतुष्ट हो लेंगे।

(ii) सभी पुलिस अधिकारी धारा 41.(1)(b)(ii) के प्रावधानों के अनुपालनार्थ चैकलिस्ट का उपयोग करते हुए गिरफ्तारी के औचित्य संबंधी कारण तथा तत्संबंधित सामग्री न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के अग्रसारण/पेशी के समय समर्पित करेंगे। संबंधित दंडाधिकारी (न्यायालय) पुलिस के उपरोक्त प्रतिवेदन के परिशीलन से संतुष्ट होकर ही अभियुक्त की निरूद्धि (Detention) को Authorize करेंगे।

(iii) धारा 41.**(1)(b)(ii)** के प्रावधानों के तहत पुलिस द्वारा किन्हीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझी जाए तो प्राथमिकी अंकित होने के दो सप्ताह के भीतर संबंधित

न्यायालय को ऐसे अभियुक्तों का विवरण भेज देंगे। दो सप्ताह की उक्त अवधि पुलिस अधीक्षक द्वारा कारण अभिलिखित करते हुए बढ़ायी जा सकती है।

(iv) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत उपस्थिति का नोटिस प्राथमिकी अंकित होने के दो सप्ताह के भीतर तामिला करा देना है। दो सप्ताह की उक्त अवधि पुलिस अधीक्षक द्वारा कारण अभिलिखित करते हुए बढ़ाई जा सकती है।

(v) उपरोक्त निर्देशों का अनुसरण करने में असफल रहने वाले पुलिस अधिकारी विभागीय कार्रवाई के साथ–साथ न्यायालय की अवमानना के लिए दंड के भी भागी होंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश स्वतः स्पष्ट है। इनके दृढ़तापूर्वक एवं वस्तुनिष्ठ अनुपालन हेतु तैयार चैकलिस्ट साथ संलग्न है।

(1.2) संलग्न चैकलिस्ट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु तारांकित किए गए हैं। कानूनी प्रावधानों के आलोक में उक्त वर्णित पाँचों कारणों धारा **41.(1)(b)(ii)a, b, c, d, e** में से यदि एक भी कारण उपस्थित होगा तो गिरफ्तारी न केवल उचित होगी अपितु कानूनी रूप से अपरिहार्य भी होगी क्योंकि उक्त उपधारा के परंतुक के अनुसार गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझे जाने के कारण भी अनिवार्य रूप से अभिलिखित किए जाने हैं। इसीलिए यदि एक भी तारांकित प्रश्न का उत्तर हाँ है तो संबंधित पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने का निर्णय निश्चित रूप से लें। यदि किसी भी तारांकित प्रश्न का उत्तर हाँ में नहीं है, किन्तु अतारांकित प्रश्नों के तीन या तीन से अधिक उत्तर हाँ में हैं तो भी गिरफ्तारी करने का निर्णय लिया जाना श्रेयस्कर होगा। फिर भी यदि अभियुक्त विशेष की कतिपय परिस्थितियों के कारण गिरफ्तारी नहीं करने का निर्णय लिया जाना न्यायिक तथा/अथवा प्रशासनिक हित में आवश्यक हो तो ऐसा निर्णय पुलिस अधीक्षक या उससे उच्चतर पंक्ति के अधिकारी ही लिखित रूप से लें।

(1.3) जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई है उनके विवरण की समीक्षा प्रत्येक मासिक अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक रूप से की जाएगी तथा **'मासिक अपराध समीक्षा'** के पूर्व से भेजे जाते रहे प्रतिवेदन के अनन्य भाग के रूप में पुलिस अधीक्षक द्वारा उच्चतर कार्यालयों को नियमित रूप से भेजा जाएगा।

(1.4) जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझी गई है उनके विषय में ऐसे कारण निश्चित रूप से अभिलिखित किए जायेंगे ताकि धारा **41.(1)(b)(ii)** के परंतुक का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(1.5) ध्यान रहे कि चैकलिस्ट का संधारण एवं मूल्यांकन अलग–अलग अभियुक्तों के लिए अलग–अलग होना है क्योंकि एक ही कांड में अलग–अलग अभियुक्तों की परिस्थितियाँ तथा तत्संबंधित सामग्री अलग–अलग हो सकती हैं।

(2) धारा **41.(1)(a)** द0प्र0स0 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में करता है तो उसकी गिरफ्तारी बिना वारंट के की जा सकती है भले ही ऐसे अपराध की सजा कितनी ही कम क्यों न हो।

(3) धारा 41 के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के अन्य प्रावधानों पर अधिभावी नहीं होते हैं। अतः विधिवत् गहन अनुसंधान के बाद जिन अभियक्तों के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित करने का निर्णय लिया गया हो, किन्तु जिनकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी, को अनुसंधान बन्द

KISHANGANJ POLICE

करने से पहले संबंधित न्यायालय में अविलंब उपस्थित होने हेतु 41**A** के तहत एक अतिरिक्त नोटिस तामिला किया जाना सर्वथा न्यायोचित एवं वांछित होगा।

(4) गिरफ्तारी करते समय द0प्र0सं0 की धारा **41B, 41C, 41D, 45, 46, 50, 60, 60A** इत्यादि का सम्यक् अनुपालन भी अपरिहार्य है। अतः सभी पुलिस अधिकारी उक्त प्रावधानों का भी परिशीलन कर अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार के मामलों में संबंधित नियमावली, 1995 के नियम 8 के अंतर्गत गठित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के भारसाधक अधिकारी के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा अलग से संरक्षण कक्ष परिपत्र संख्या–01/2021, दिनांक–17.03.2021 पूर्व में अलग से निर्गत किया जा चुका है।

Joginder Kumar Vs State Of U.P on 25 April, 1994

कोई भी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारी बाध्य नहीं हैं। द0प्र0स0 में पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने की शक्ति के अस्तित्व की बात करते हैं। इसे लागू करने का औचित्य बिल्कुल अलग है। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी को उचित ठहराने के बाद ही गिरफ्तारी करनी चाहिए।

किसी अपराध के लिए गिरफ्तारी निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करनी चाहिएः–

(a) अभियुक्त अपनी पहचान की अनिच्छा को परिलक्षित करता है।
(b) उसके अपराध की निरंतरता या पुनरावृत्ति को रोकने की आवश्यकता है।
(c) गिरफ्तार अभियुक्त को स्वयं या अन्य व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा आवश्यक हो।
(d) उस अपराध से संबंधित साक्ष्य को सुरक्षित या संरक्षित करने या संदिग्ध से पूछताछ करके ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता हो।
(e) अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप का जवाब देने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने में विफल रहने की संभावना।

KISHANGANJ POLICE

04. गिरफ्तारी पर पुलिस आयोग की रिपोर्ट

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि किसी संज्ञेय मामले की जांच के दौरान गिरफ्तारी को एक या दो मामलों में उचित माना जा सकता है। निम्नलिखित में से अन्य परिस्थितियाँः–

(1). मामले में हत्या, डकैती, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराध शामिल है और आतंक से त्रस्त पीड़ितों में विश्वास पैदा करने के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना और उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक है।
(2). अभियुक्त के फरार होने और कानूनी प्रक्रियाओं से बचने की संभावना है।
(3). आरोपी हिंसक व्यवहार का आदतन है और जब तक उसकी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई जाती, वह आगे भी अपराध कर सकता है।
(4). आरोपी एक आदतन अपराधी है और जब तक उसे हिरासत में नहीं रखा जाएगा, उसके दोबारा इसी तरह के अपराध करने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अन्वेषण के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की शर्ते–

(1). अन्वेषण के दौरान जब हिरासत आवश्यक हो जाती है। उदाहरणः–विधि–व्यवस्था के दृष्टिकोण से, पीड़ित में पुलिस के अनुसंधान पर विश्वास बनाये रखने के लिए, पीड़ित एवं समाज के अंदर भयमुक्त माहौल बनाने के लिए
(2). यह एक जघन्य अपराध है।
(3). जहां गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो या
(4). आरोपी फरार हो सकते हैं।

सीआरपीसी के तहत जमानती वारंट एवं गैर जमानती वारंट (NBW), उद्घोषणा (Proclamation/इश्तेहार–धारा–82 के तहत) और कुर्की (Attachment of Property, द0प्र0स0 की धारा–83) जारी करने से पहले दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनील त्यागी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार–amp; Anr[Ûii] ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा–निर्देश दिए हैं कि जांच के चरण के दौरान केवल सही व्यक्तियों के खिलाफ ही गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किए जाएं, जो इस प्रकार हैः–

(1). जहां अपराध संज्ञेय है और अन्वेषण अधिकारी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है। यदि अभियुक्त अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा है।
(2). वारंट के लिए आवेदन करते समय, अन्वेषण अधिकारी मजिस्ट्रेट को अभियुक्त की अनुसंधान हेतु उपस्थिति एवं अनुसंधान में सहयोग करने के लिए किए गए अपने प्रयासों को दिखाना होगा।
(3). यदि अभियुक्त को द0प्र0सं0 की धारा 41(ए) एवं 160 के तहत नोटिस किया गया है और निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित नहीं हुआ हो या अनुसंधान में सहयोग/भाग नहीं लिया।

KISHANGANJ POLICE

(4). अन्वेषण अधिकारी को इन मानदंडों को पूरा करना होगा न कि केवल एक मजबूत संदेह या गुप्त मुखबिर की सूचना को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आधार नहीं माना जा सकता है।

(5). अभियुक्त के खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट रूप से लिखित रूप में यह नहीं कहा है कि गिरफ्तारी के आधार मौजूद हैं और ऐसे आधार न केवल कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं बल्कि न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप–पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त भी है।

(6). अन्वेषण अधिकारी को यह दिखाना होगा कि उनकी राय में अपराध की उचित और निष्पक्ष जांच के लिए अभियुक्त की आवश्यकता है।

(7). ऐसी प्रार्थनाओं का थाना प्रभारी और सहायक द्वारा समर्थन किया जाएगा। पी.पी.अपर, पी. पी.चीफ, पी.पी. न्यायालय को इस घोषणा के साथ कि वे संतुष्ट हैं कि यह NBW जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है।

(8). अन्वेषण अधिकारी जांच के दौरान अपने द्वारा एकत्र की गई सामग्री को न्यायालय के समक्ष साझा करेगा, जिसके आधार पर आरोपी अपराध से जुड़ा है।

(9). पुलिस अधिकारी का वारंट से संबंधित प्रस्ताव रिपोर्ट– पुलिस वारंट से संबंधित प्रस्ताव दायर करेगी, जिसमें तारीख, समय और सेवा के तरीके के साथ–साथ आरोपी की तलाश और पहचान के लिए किए गए प्रयासों से अवगत किया जाएगा।

KISHANGANJ POLICE

05. चैकलिस्ट द0प्र0सं0 की धारा 41(1)(b)(ii) एवं द0प्र0सं0 की धारा 41(1)(A) के नोटिस के अंतर्गत

द0प्र0स0 की धारा **41.(1)(b)(ii)** के अनुपालनार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अर्णेश कुमार बनाम् बिहार राज्य** मामले में पारित न्यायादेश तद्नुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र सं0 संख्या–3/5/2008–Judl. Cell दिनांक–10 जुलाई 2014 से संबंधित।

चैकलिस्ट

	अभियुक्त का विवरण (नाम, पिता का नाम, आयु, लिंग एवं पता इत्यादि):	
	कांड का विवरण (सुसंगत धारा सहित) :	
	पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त/संदिग्ध की बिना वारंट गिरफ्तारी हेतु अनुपालनीय द0प्र0स0 के उपबंध एवं तत्संबंधित वस्तुनिष्ठ विचार हेतु सहायक प्रश्नावली	संबंधित उत्तर
A	**41.(1)(b)(ii)(a) अभियुक्त द्वारा पुनः कोई अपराध किये जाने से रोकने हेतु** ➢ क्या अभियुक्त पूर्व में किसी आपराधिक कांड में आरोप पत्रित या दण्डित हुआ है ? यदि हाँ तो अलग पन्ने पर विवरण दें। ➢ क्या अभियुक्त किसी आपराधिक गिरोह का सदस्य, सहायक, आश्रयदाता या मुखबिर है ? यदि हाँ तो विवरण दें। ➢ क्या पूर्व में किसी काण्ड में संदिग्ध पाया गया है यदि हाँ तो विवरण दें।	**हाँ/नही** **हाँ/नहीं** **हाँ/नहीं**
B	**41.(1)(b)(ii)(b) कांड के उचित अनुसंधान हेतु** ➢ क्या कांड से संबंधित संपत्ति की बरामदगी में सहायता हेतु गिरफ्तारी आवश्यक है ? ➢ क्या कांड के पूर्ण सटीक उद्भेदन हेतु अभियुक्त का कस्टोडियल इंटेरोगेशन आदि के लिए पुलिस कस्टडी आवश्यक है? ➢ क्या पहचान परेड, संयुक्त पूछताछ या अन्य अभियुक्त/व्यक्तियों से सामना कराने हेतु अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है? ➢ क्या सह–अभियुक्तों की गिरफ्तारी में आवश्यक सहयोग हेतु अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है? ➢ क्या विभिन्न प्रकार के नमूनों– आवाज, रक्त, वीर्य, थूक, केश, नख, हस्ताक्षर, हस्तलेख, डी०एन०ए० प्रोफाइलिंग इत्यादि हेतु अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है?	**हाँ/नहीं** **हाँ/नहीं** **हाँ/नहीं** **हाँ/नहीं** **हाँ/नहीं**
C	**41.(1)(b)(ii)(c) कांड के साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने या उन्हें विनष्ट करने से रोकने हेतु।** ➢ क्या अभियुक्त की पहुँच के दायरे में कांड से संबंधित कोई साक्ष्य–सामग्री है जिनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है? ➢ क्या अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार से कांड के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या विनष्ट किये जाने की आशंका है?	**हाँ/नहीं** **हाँ/नहीं**

KHAGAUL POLICE

D	**41.(1)(b)(ii)(d) क्या अभियुक्त द्वारा कांड की परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा, धमकी, वादे द्वारा न्यायालय या पुलिस के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोकने की आशंका हैं?** ➢ क्या अभियुक्त किसी भी रूप में साक्षियों को प्रभावित करने की स्थिति/हैसयित में है? ➢ क्या पूर्व में अभियुक्त को द0प्र0स0 के अध्याय–8 (धारा 106–124) के अंतर्गत बंधित किया गया है? यदि हाँ तो विवरण दें। ➢ पीड़ित पक्ष की अरक्षितता (vulnerability- गरीबी (BPL), अशिक्षा, कमजोर वर्ग इत्यादि। यदि हाँ तो विवरण दें।	**हाँ/नहीं** **हाँ/नहीं** **हाँ/नहीं**
E	**41.(1)(b)(ii)(e) क्या अभियुक्त के यथावश्यकता न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की आशंका है?** ➢ क्या अभियुक्त द्वारा पूर्व में जमानत, पेरोल, फर्लो, सजा इत्यादि का उल्लंघन किया गया है? ➢ क्या वह खानाबदोश गिरोह से संबंधित है? यदि हाँ तो गिरोह पंजी का विवरण दें। ➢ क्या वह किसी प्रतिबंधित संगठन से किसी रूप में जुड़ा हुआ है? यदि है तो संबंधित अभिलेखों का विवरण दें। ➢ क्या अभियुक्त का पता/पहचान का अग्रतर सत्यापन आवश्यक है? ➢ क्या वह प्रायः राज्य से बाहर आवासित रहता है? उपरोक्त चैकलिस्ट के आधार पर तथा अन्य उपलब्ध सामग्री साक्ष्यों का विवरण देते हुए गिरफ्तारी करने या नहीं करने संबंधी निर्णयः– **अनुसंधानकर्त्ता का हस्ताक्षर** **पर्यवेक्षणकर्त्ता का प्रतिहस्ताक्षर**	**हाँ/नहीं** **हाँ/नहीं** **हाँ/नहीं** **हाँ/नहीं** **हाँ/नहीं**

KISHANGANJ POLICE

06. मॉडल प्रपत्र

अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा के लिए मॉडल प्रपत्र–1

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (या जिस न्यायालय में मामला हो)
किशनगंज।

प्रसंगः– किशनगंज थाना कांड सं0–12/23, दिनांक–15.01.2023, धारा–376 भा0द0वि0
विषयः– अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में रखने हेतु आदेशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में निवेदनपूर्वक कहना है कि.....थाना कांड–.....दिनांक–.....धारा–.....के अभियुक्त.....को आपके समक्ष उपस्थापित किया जा रहा है। इनके द्वारा जघन्य अपराध कारित की गई है **"या"** इनकी संलिप्तता पायी गयी है **"या"** यह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं **"या"** यह साक्षियों को डरा धमका रहे हैं, **"या"** ऐसी आशंका है कि ये अपनी उपस्थिति अनुसंधान/विचारण के दौरान कायम नहीं कर सकते हैं **"या"** यह किसी अपराध की पुनरावृत्ति कर सकते हैं **"या"** अभियुक्त द्वारा द0प्र0स0 की धारा–41(b)(ii) के उल्लंघन की संभावना है या उल्लंघन किया है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति से संतुष्ट होने के उपरांत उक्त अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में रखने हेतु आदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुसंधानकर्त्ता

KISHANGANJ POLICE

अभियुक्त को मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश के समक्ष उपस्थापन के लिए मॉडल प्रपत्र–2

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (या जिस न्यायालय में मामला हो)
किशनगंज।

प्रसंगः– किशनगंज थाना कांड सं0–12/23, दिनांक–15.01.2023, धारा–376 भा0द0वि0

विषयः– अभियुक्त को मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश के समक्ष उपस्थापन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में निवेदनपूर्वक कहना है कि.....थाना कांड.....दिनांक.....धारा.....के अभियुक्त.....के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा अभियुक्त ने अनुसंधान में पूर्ण सहयोग किया है एवं द0प्र0स0 की धारा–41(b)(ii) के उल्लंघन की संभावना नहीं है। इसलिए इन्हें न्यायिक हिरासत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त अभियुक्त.....के संबंध में अग्रतर आदेश हेतु अभियुक्त को माननीय के समक्ष उपस्थापित किया जा रहा है। (द0प्र0स0 की धारा–170 के तहत)

विश्वासभाजन

अनुसंधानकर्त्ता

KISHANGANJ POLICE

अभियुक्त/संदिग्ध के विरूद्ध वारंट प्राप्त करने के लिए मॉडल प्रपत्र–03

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (या जिस न्यायालय में मामला हो)
किशनगंज।

प्रसंगः– किशनगंज थाना कांड सं0–12/23, दिनांक–15.01.2023, धारा–376 भा0द0वि0
विषयः– अभियुक्त/संदिग्ध के विरूद्ध वारंट निर्गत करने के संबंध में।
महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में निवेदनपूर्वक कहना है कि.....थाना कांड.....दिनांक.....धारा.....के अभियुक्त/संदिग्ध.....है, जो इस कांड में इनके द्वारा द0प्र0स0 की धारा 41(A)(1) के तहत दी गयी नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया **(यानी अनुसंधान में सहयोग नहीं किया "या" उपस्थित नहीं हुआ)** **"या"** द0प्र0सं0 की धारा 160 के तहत दी गयी नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया **(यानी अनुसंधान में सहयोग नहीं किया "या" उपस्थित नहीं हुआ)।**

अतः उपर्युक्त अभियुक्त/संदिग्ध.....की अनुसंधान में सहयोग **"या"** भाग लेने **"या"** उपस्थिति अनिवार्य कराने हेतु इनके विरूद्ध वारंट निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुसंधानकर्त्ता

KISHANGANJ POLICE

अभियुक्त/संदिग्ध के विरूद्ध इश्तेहार(उद्घोषणा/**Proclamation**) प्राप्त करने के लिए मॉडल प्रपत्र–04

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (या जिस न्यायालय में मामला हो)
किशनगंज।

प्रसंगः– किशनगंज थाना कांड सं0–12/23, दिनांक–15.01.2023, धारा–376 भा0द0वि0

विषयः– अभियुक्त/संदिग्ध के विरूद्ध इश्तेहार(उद्घोषणा/Proclamation) निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में निवेदनपूर्वक कहना है कि.....थाना कांड.....दिनांक.....धारा.....के अभियुक्त/संदिग्ध..... है, जो इस कांड में इनके द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 41(A)(1) के तहत दी गयी नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया **(यानी अनुसंधान में सहयोग नहीं किया "या" उपस्थित नहीं हुआ)** **"या"** द0प्र0सं0 की धारा 160 के तहत दी गयी नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया **(यानी अनुसंधान में सहयोग नहीं किया "या" उपस्थित नहीं हुआ)।**

अतः उपर्युक्त अभियुक्त/संदिग्ध.....के विरूद्ध वारंट निर्गत किया गया था, परन्तु अभी भी इनके द्वारा अनुसंधान में सहयोग **"या"** भाग नहीं लिया जा रहा **"या"** उपस्थित नहीं हो रहा है, इस हेतु इनके विरूद्ध इश्तेहार(उद्घोषणा/Proclamation) निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुसंधानकर्त्ता

KISHANGANJ POLICE

अभियुक्त/संदिग्ध के विरूद्ध कुर्की प्राप्त करने के लिए मॉडल प्रपत्र–05

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (या जिस न्यायालय में मामला हो)
किशनगंज।

प्रसंगः– किशनगंज थाना कांड सं0–12/23, दिनांक–15.01.2023, धारा–376 भा0द0वि0
विषयः– अभियुक्त/संदिग्ध के विरूद्ध कुर्की निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में निवेदनपूर्वक कहना है कि.....थाना कांड.....दिनांक.....धारा.....के अभियुक्त/संदिग्ध.....है, जो इस कांड में इनके द्वारा द0प्र0स0 की धारा 41(A)(1) के तहत दी गयी नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया **(यानी अनुसंधान में सहयोग नहीं किया "या" उपस्थित नहीं हुआ)** **"या"** द0प्र0स0 की धारा 160 के तहत दी गयी नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया **(यानी अनुसंधान में सहयोग नहीं किया "या" उपस्थित नहीं हुआ)।**

अतः उपर्युक्त अभियुक्त/संदिग्ध.....के विरूद्ध इश्तेहार (उद्घोषणा/Proclamation) निर्गत किया गया था, परन्तु अभी भी इनके द्वारा अनुसंधान में सहयोग **"या"** भाग नहीं लिया जा रहा **"या"** उपस्थित नहीं हो रहा है, इस हेतु इनके विरूद्ध कुर्की निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुसंधानकर्त्ता

KISHANGANJ POLICE

अभियुक्त/संदिग्ध के विरूद्ध वारंट प्राप्त करने के लिए मॉडल प्रपत्र–06

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (या जिस न्यायालय में मामला हो)
किशनगंज।

प्रसंगः– किशनगंज थाना कांड सं0–12/23, दिनांक–15.01.2023, धारा–376 भा0द0वि0
विषयः– अभियुक्त/संदिग्ध के विरूद्ध वारंट निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में निवेदनपूर्वक कहना है कि.....थाना कांड. .....दिनांक.....धारा.....के अभियुक्त/संदिग्ध.....है। इनके द्वारा द0प्र0स0 की धारा–41(1)(b)(ii)(इसमें उल्लंघन स्पष्ट किया जाय) का उल्लंघन किया गया है। इसलिए इनकी न्यायिक अभिरक्षा हेतु वारंट निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुसंधानकर्त्ता

KISHANGANJ POLICE

अभियुक्त/संदिग्ध के विरूद्ध इश्तेहार(उद्घोषणा/Proclamation) प्राप्त करने के लिए मॉडल प्रपत्र–07

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (या जिस न्यायालय में मामला हो)
किशनगंज।

प्रसंगः– किशनगंज थाना कांड सं0–12/23, दिनांक–15.01.2023, धारा–376 भा0द0वि0

विषयः– अभियुक्त/संदिग्ध के विरूद्ध इश्तेहार(उद्घोषणा/Proclamation) निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में निवेदनपूर्वक कहना है कि.....थाना कांड.....दिनांक.....धारा.....के अभियुक्त/संदिग्ध.....है। इनके द्वारा द0प्र0सं0 की धारा–41(1)(b)(ii) (इसमें उल्लंघन स्पष्ट किया जाय) का उल्लंघन किया गया है। इनके विरूद्ध वारंट निर्गत किया गया था और इसका तामिला भी कराया गया था, परन्तु इनके द्वारा अभी भी द0प्र0स0 की धारा–41(1)(b)(ii) का उल्लंघन किया जा रहा है इसलिए इनके विरूद्ध इश्तेहार(उद्घोषणा/Proclamation) निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुसंधानकर्त्ता

KISHANGANJ POLICE

अभियुक्त/संदिग्ध के विरूद्ध कुर्की प्राप्त करने के लिए मॉडल प्रपत्र–08

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (या जिस न्यायालय में मामला हो)
किशनगंज।

प्रसंगः– किशनगंज थाना कांड सं0–12/23, दिनांक–15.01.2023, धारा–376 भा0द0वि0
विषयः– अभियुक्त/संदिग्ध के विरूद्ध कुर्की निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में निवेदनपूर्वक कहना है कि.....थाना कांड.....दिनांक.....धारा.....के अभियुक्त/संदिग्ध.....है। इनके द्वारा द0प्र0स0 की धारा–41(1)(b)(ii) (इसमें उल्लंघन स्पष्ट किया जाय) का उल्लंघन किया गया है। इनके विरूद्ध वारंट तथा इश्तेहार(उद्घोषणा/Proclamation) निर्गत किया गया था, जिसका तामिला भी कराया गया, परन्तु इनके द्वारा अभी भी द0प्र0स0 की धारा–41(1)(b)(ii) का उल्लंघन किया जा रहा है इसलिए इनके विरूद्ध कुर्की निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुसंधानकर्त्ता

KISHANGANJ POLICE

नोट–1:– प्रपत्र संख्या–03, 04 एवं 05 केवल उस कांड में, जिसमें अभियुक्त/संदिग्ध अनुसंधान में भाग "या" सहयोग नहीं कर रहा है।

नोट–2:– प्रपत्र संख्या– 06, 07 एवं 08 उस कांड में, जिसमें अभियुक्त/संदिग्ध धारा–41(b)(ii) का उल्लंघन कर रहा है।

07. निष्कर्ष

उपरोक्त द0प्र0स0 की धारा एवं विभिन्न न्यायालय के समय–समय पर दिये गये न्याय–निर्णयों से स्पष्ट होता है कि पुलिस को अभियुक्तों/संदिग्धों की अनावश्यक गिरफ्तारी से बचना चाहिए। पुलिस द्वारा किसी भी अभियुक्त को जेल भेजना/गिरफ्तारी करना एक अपवाद होना चाहिए, लेकिन नियमित नहीं (Arresting by Police should be an exception but not norm)। अनावश्यक गिरफ्तारी से पुलिस की छवि धूमिल होती है, जनता का विश्वास पुलिस के प्रति कम हो जाता है। साथ ही पुलिसकर्मियों पर बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) का मुकदमा लगने की संभावना बढ़ती है। अनावश्यक गिरफ्तारी से व्यक्ति के मौलिक संवैधानिक अधिकार एवं मौलिक मानवाधिकार का भी हनन होता है। इससे हर कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी को बचना चाहिए। क्योंकि मौलिक संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना पुलिस का मूल दायित्व है।

यह भी देखा गया है कि अनावश्यक गिरफ्तारी के कारण खासतौर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को जमानत लेने में काफी कठिनाई आती है। कभी–कभी उनको अपने सम्पत्ति बेचकर/ऋण लेकर जमानत करानी पड़ती है, जिससे उसकी परिवार की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। Pre-Trial अभिरक्षा के दौरान पारिवारिक जीवनयापन के लिए आर्थिक गतिविधि नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका परिवार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। Pre-Trial के समय यदि किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाता है तो भविष्य में न्यायालय उस व्यक्ति को विचारण के पश्चात् दोषमुक्त करता है। ऐसी स्थिति में Pre-Trial एवं दोषमुक्ति के बीच के समयावधि में जिस व्यक्ति को जेल में रखा गया, उस व्यक्ति की मौलिक संवैधानिक अधिकार एवं मौलिक मानवाधिकार का हनन ही नहीं बल्कि अपूरणीय क्षति भी होती है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावे यह भी देखा गया है कि समाज के सामान्य व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाती है। इसलिए पुलिस को अनावश्यक गिरफ्तारी से बचना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों का पालन करते हुए पुलिस द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में ही अभियुक्त को जेल भेजा जाना चाहिएः–

1. सम्पत्तिमूलक अपराधों में, जिसमें अभियुक्त द्वारा अपराधों की पुनरावृति करने की प्रबल संभावना है।
2. Contract Killing/Murder for gain जैसे–सुपारी लेकर हत्या करना, किसी कमजोर व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से बेदखल करने के लिए हत्या करना।
3. Crime in Continuity (निरंतर अपराध) उदाहरण के लिएः– साईबर अपराध, फर्जी निधि कंपनियों द्वारा सामान्य लोगों की आर्थिक ठगी में संलिप्त अपराधी/अभियुक्त/कंपनी इत्यादि।
4. मादक पदार्थों के तस्करी करने वाले/मानव तस्करी/शराब माफिया, जिससे समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता हो।
5. वैसे अपराध जिससे देश, राज्य तथा समाज की सुरक्षा एवं हितों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिएः– आतंकवाद एवं विस्फोटक पदार्थ, अवैध हथियार इत्यादि रखने वाले अपराधी/अभियुक्त।
6. वैसे असामाजिक तत्व, जिनके द्वारा शांति भंग कर विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जाती है।
7. विशेष परिस्थिति, जहां गिरफ्तारी आवश्यक हो।

KISHANGANJ POLICE

08. उद्देश्य

इस मानक संचालन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि पुलिस अनावश्यक गिरफ्तारी से बचे और पुलिस की खोई हुई प्रतिष्ठा व सम्मान बढ़ जाय तथा गुणवत्तापूर्ण गिरफ्तारी (पर्याप्त कारण एवं आधार) हो। निष्कर्ष में मूल रूप से पुलिस गिरफ्तारी तभी करें जहां प्रबल संभावना है कि अभियुक्त फरार हो सकता है, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकता है तथा पीड़ित को परेशान कर सकता है। पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी करने एवं न करने के बीच बेहतरीन संतुलन बनाना अनिवार्य है। क्योंकि अनावश्यक जेल भेजने से भी समाज में संतुलन बिगड़ जाता है और अपराधी को जेल न भेजने से समाज में अराजकता फैलने एवं सामाजिक संतुलन बिगड़ने की प्रबल संभावना है और अपराधियों के बीच कानून का भय समाप्त होने की संभावना बन सकती है।

KISHANGANJ POLICE